रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 5 जुलाई, 2005/14 आषाढ़, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 4 जुलाई, 2005

संख्या फिन–काम–डी (4)–1/2002.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005, की धारा 8 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को

1232–राजपत्र/2005–5–7–2005—1,851. (1607) मूल्य : एक रुपया।

क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 है ।

(2) ये नियम इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**–(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;
(ख) संचयी ऋण' से उस वर्ष की 31 मार्च को राज्य सरकार का परादेय ऋण अभिप्रेत है ;
(ग) 'प्ररुप' से इन नियमों से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है ;
(घ) 'स0 घ0 उ0' से चालू कीमत पर राज्य सरकार का सकल घरेलू उत्पाद अभिप्रेत है ; और
(ङ) 'धारा ' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. **वार्षिक लक्ष्य.**–(1) धारा 5 की उप–धारा (1) में दिए गए 31 मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को निरस्त करने के लक्षय को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ऐसे घाटे को ऐसी रकम से कम करने का प्रयास करेगी, जो वित्तीय वर्ष 2005–2006 से प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में, कुल राजस्व प्राप्तियों के 2 प्रतिशत प्वाइन्टस के समतुल्य हों, जब तक कि राजस्व घाटा निरस्त नहीं हो जाता ।

(2) राज्य सरकार कुल राजस्व प्राप्तियों के अस्सी प्रतिशत से नीचे की परादेय प्रत्याभूतियों को उत्तरोतर कम करेगी ।

(3) पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को दो प्रतिशत बिन्दु तक नीचे लाया जाएगा, जब तक कि यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक कम नहीं हो जाता ।

4. **मध्यम अवधि राजकोषीय योजना विवरण.**—राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट के साथ, धारा 3 की उप–धारा (3) के अधीन विधान सभा के समक्ष रखे जाने को अपेक्षित मध्यम अवधि राजकोषीय योजना विवरण प्ररुप 1 में होगा ।

5. **राजकोषीय सूचक.**—मध्यम अवधि राजकोषीय योजना विवरण में निम्नलिखित राजकोषीय सूचकों की बाबत राजकोषीय चार वर्षीय चल (रोलिंग) लक्ष्य, ऐसे रूपण में होंगे जैसा प्ररूप 1 में दिया गया है, और निम्नलिखित सहित सुसंगत सूचना उनमें सम्मिलित होगी :

(i) कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा;
(ii) सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा ;
(iii) सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व ; और
(iv) सुसंगत वर्ष के लिये राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राज्य सरकार का कुल परादेय ऋण ।

6. **प्रकटन.**—राज्य सरकार, लोक हित में अपनी राजकोषीय संकियाओं मे और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय, धारा 6 की उप–धारा (2) के अधीन यथा उपबंधित प्ररूप 2 , 3 और 4 में प्रकटन करेगी ।

7. **अनुपालन प्रवर्तित करने के उपाय.**—(1) प्राप्तियों और व्यय की प्रवणताओं (रूखों) का पुनर्विलोकन विधान सभा के समक्ष प्ररूप 5 में रखा जाएगा ।

(2) प्रभारी मन्त्री, विहित प्ररूप 5 में विधान सभा के समक्ष रखे जाने वाले पुनर्विलोकन सहित, प्राप्तियों और व्यय की प्रवणताओं (रूखों) उसमें विचलन, आर्थिक पर्यावरण और राज्य सरकार की नीति पर कथन करेगा राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले प्रस्तावित उपचारी उपायों को भी प्राप्तियों और व्यय के पुनर्विलोकन सहित विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

(3) राज्य सरकार समुचित उपचारी उपाय करेगी और वित्त का प्रभारी मन्त्री, द्वितीय तिमाही की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् के सत्र के दौरान, किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा देते हुए, विधान सभा में कथन करेगा ।

आदेश द्वारा,
हस्ता/–
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)

प्ररूप–1

(नियम 4 और 5 देखें)

मध्यम अवधि राजकोषीय योजना विवरण

क. राजकोषीय सूचक––चल (रोलिंग) लक्ष्य :

राजकोषीय सूचक		चालू वर्ष संशोधित प्राक्कलन	आगामी वर्ष लक्ष्य बजट प्राक्कलन वर्ष	अगले दो वर्षों के लिये लक्ष्य	
				वर्ष+1	वर्ष +2
1.	राजस्व प्राप्तियां ।				
2.	राजस्व व्यय ।				
3.	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा ।				
4.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा ।				
5.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कर राजस्व ।				
6.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल परादेय ऋण ।				
7.	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां ।				

ख. राजकोषीय सूचकों में निहित धारणाएं :

1. राजस्व प्राप्तियां :

(क) कर राजस्व वृद्धि की दरें और सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर ।
(ख) गैर–कर–राजस्व–नीतिगत स्थिति ।

2. पूंजी प्राप्तियां :

(क) नए उधार और नीतिगत स्थिति
(ख) उधारों की वसूली
(ग) अन्य प्राप्तियां
(घ) उधार–लोक ऋण और अन्य दायित्व

3. कुल व्यय :

(क) राजस्व लेखे

(i) वेतन और मजदूरी
(ii) पेन्शन
(iii) ब्याज संदाय
(iv) प्रमुख सहायकी (सबसिडीज)
(v) अन्य

(ख) पूंजी लेखा

(i) उधार और अग्रिम
(ii) पूंजी परिव्यय

4. सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि ।

ग. निम्नलिखित पर विवरण :

(i) राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच संतुलन.– मध्य अवधि राजकोषीय योजना विवरण में उसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित परिवर्तनों के निर्धारण सहित चालू वर्ष और पश्चात्वर्ती दो वर्षों के लिए कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें गैर कर राजस्व और उससे संबद्ध नीतियों का उल्लेख किया जाएगा । पूंजी प्राप्तियां जिसके अन्तर्गत उधार और अन्य दायित्व भी हैं, का निर्धारण बनाई गई नीतियों के अनुसार किया जाएगा। विवरण में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए प्रक्षेपण भी दिया जा सकेगा और सूचकों में निहित

धारणाओं के आधार पर उसका उल्लेख किया जाएगा । योजना और गैर योजना, दोनों राजस्व लेखा पर, व्यय भी सम्पूर्ण उददेश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित उपायों पर विशिष्ट महत्व देकर किया जाएगा ।

(ii) पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग जिसके अन्तर्गत उत्पादक परिसम्पत्तियों (आस्तियों) के जनन के लिए बाजार उधार सम्मिलित हैं.– मध्य कालिक योजना विवरण में विभिन्न प्रवर्गों में उत्पादक परिसम्पत्तियों (आस्तियों) के जनन के लिए पूंजी प्राप्तियों का प्रस्तावित प्रयोग भी विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा । इसमें इन प्रवर्गों के बीच प्रस्तावित परिवर्तनों का भी उल्लेख किया जा सकेगा और राज्य उददेश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की सम्पूर्ण नीति के निबन्धनों में इसका उल्लेख किया जा सकेगा ।

(iii) चालू आर्थिक प्रवणता (रूख) का विवरण और राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति की वृद्धि को प्रभावित करने के भावी पूर्वेक्षण ।

(iv) राजकोषीय क्षेत्रों में सरकार की अनुकूल प्राथमिकता ।

(v) संचयी ऋण या दायित्व का विवरण ।

प्ररूप –2

(नियम 6 देखें)

लेखा नीति ओर राज्य सरकार की प्रक्रिया

विद्यमान प्रक्रिया / पद्धति	परिवर्तन, यदि कोई हो	परिवर्तनों के कारण	समाधान, यदि कोई हो
(1) विद्यमान लेखा मानक (ब्यौरा दें)			
(2) विद्यमान लेखा नीति / पद्धति (ब्यौरा दें)			

प्ररूप – 3

(नियम 6 देखें)

राज्य सरकार के दीर्घकालिक दायित्व पर प्रत्याभूतियों के कथन

वर्ष जिसके लिए वास्तविक उपलब्ध हैं, के लिए प्रत्याभूतियों की अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	दी गई प्रत्याभूति के विरूद्ध परादेय रकम (रुपये करोड़ में)	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च के परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में)	चालू वर्ष के दौरान दी गई अतिरिक्त प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में)	टिप्पणियां, यदि कोई हों

प्ररूप – 4

[नियम 6 (1) देखें]

31 मार्च को कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा :–

	संख्या	वेतन		
		योजना	गैर योजना	कुल
1. राज्य सरकार के कर्मचारी (मांग अनुसार/विभाग अनुसार)				
2. पब्लिक सैक्टर उपक्रम				
3. सहायता पाने वाले संस्थान				
कर्मचारियों की कुल संख्या				

प्ररूप– 5

(नियम 7 देखें)

प्राप्तियों और व्यय का पुनर्विलोकन

मद	चालू वर्ष का प्राक्कलन बजट	चालू वर्ष का नवीनतम प्राक्कलन	प्रत्याशित बढ़ोतरी/ कमी	विचलन के कारण
1	2	3	4	5
क. राजस्व प्राप्तियां :				
(i) राज्य की अपनी :				
(क) कर राजस्व				
(ख) गैर कर राजस्व				
(ii) केन्द्रीय अन्तरण (केन्द्रीय करों सहित)				
(iii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम अनुदान (केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम उधार को अपवर्जित करके)				
1. कुलः क (i) से (iii) राजस्व प्राप्तियां				
ख. राजस्व खर्चे :				
(i) गैर योजना				
i(क) ब्याज संदाय (उपरोक्त (i) में सम्मिलित)				
i(ख) पैन्शन (योजना) नीचे (ii) में सम्मिलित				
i(ग) पैन्शन (गैर योजना) उपरोक्त (i) में सम्मिलित				
(ii) योजना				

(iii) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम				
2. कुल : ख को उपवर्जित कर (i से iii) राजस्व खर्चे				
3. राजस्व घाटा (क–ख)				
ग. पूंजी प्राप्तियां :				
(i) कुल उधार (मजदूरी और साधन ओवरड्राफट को अपवर्जित कर और शुद्ध साधारण भविष्य निधि प्राप्तियों को सम्मिलित कर)				
(ii) उधार की वसूली				
4. कुलः ग (i से ii) पूंजी प्राप्तियां				
घ. पूंजी खर्चे :				
(i) उधार का संदाय				
(ii) गैर योजना पूंजी खर्चे				
(iii) योजना पूंजी खर्चे				
(iv) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम				
5. कुलः घ (i से iv) पूंजी खर्चे				
ङ पूंजी घाटा/अधिशेष (ग–घ)				
च. राजवित्तीय घाटा (3+घ) (ii+iii+iv) –ग (ii)				
छ. प्राथमिक घाटा (च–ख) i (क)				

ज. साधारण आर्थिक पर्यावरण एवं नीति प्रभारों के कारण विचलन से सम्बन्धित विवरण ।

1 प्रस्तावित उपचारी उपायों का विवरण ।

[Authoritative English text of this Department Notification Number Fin. Comm.D(4)-1/2002, dated 4-7-2005 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th July, 2005

No. Fin. Comm. D(4)-1/2002.— In exercise of the powers conferred by section 8 of the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh hereby makes the following rules, for carrying out the provisions of this Act, namely: —

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of publication of this Notification in official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Act" means the Himachal Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005 ;
(*b*) "Cumulative debt "means the outstanding debt of the State Government on 31st March of that year;
(*c*) 'Form "means a form appended to these rules;
(*d*) 'GSDP "means gross domestic product of the State at current prices; and
(*e*) 'Section "means a section of the Act.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act .

3. Annual targets.—(1) In order to achieve the elimination of revenue deficit, by the 31st day of March, 2009 as set out in sub-section (1) of section 5, the State Government shall endeavour to reduce the deficit by an amount equivalent to two percentage points of the total revenue receipts at the end of each financial year, compared to previous year, beginning with the financial year 2005-06, till revenue deficit is eliminated.

(2) The State Government shall progressively reduce the outstanding guarantees below 80% of total revenue receipts.

(3) Fiscal deficit will be brought down by two percentage point every year compared to previous year, till it is reduced to 3% of gross state domestic product.

4. Medium Term Fiscal Plan Statement.— The medium term fiscal plan statement, as required to be laid before the Vidhan Sabha by the State Government under sub-section (3) of section 3 along with the annual budget shall be in Form 1.

5. Fiscal Indicators.— (1) In the medium term fiscal plan statement, fiscal four year rolling targets in respect of the following fiscal indicators shall be in the format as given in Form-1 and shall include relevant information including the following: —

(*i*) revenue deficit as a percentage of total revenue receipts;
(*ii*) fiscal deficit as a percentage of gross state domestic product;
(*iii*) tax revenue as a percentage of gross state domestic product ;
(*iv*) total outstanding debt of the State Government as a percentage of gross state domestic product of the State for the relevant year.

6. Disclosures.— (1) In order to ensure greater transparency in its fiscal operations in the public interest, the State Government shall, at the time of presenting the annual budget, make disclosures as provided for under sub-section (2) of section 6 in Forms 2 , 3 and 4.

7. Measures to enforce compliance.— (1) The review of the trends of receipts and expenditure shall be placed in the Vidhan Sabha on Form 5.

(2) The Minister-in-Charge shall present a Statement on the trends of receipts and expenditure, the deviations therein, the economic environment and the policy of the State Government alongwith a review prescribed on Form 5, to be laid in the Vidhan Sabha. The remedial measures proposed to be taken by the State Government shall also be laid in the Vidhan Sabha alongwith the review of receipts and expenditure.

(3) The State government shall take appropriate remedial measures and the Minister-in-Charge of the Finance shall make a statement in the Legislative Assembly during the session immediately following the end of the second quarter detailing the corrective measures being taken.

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary (Fin.).

Form 1

(See rule 4 and 5*)*

Medium Term Fiscal Plan Statement

A. Fiscal Indicators - Rolling Targets :

Fiscal Indicators	Current year Revised Estimates	Ensuing year Target: Budget Estimates Y	Targets for next Two years	
			Y+1	Y+2
1. Revenue receipts				
2. Revenue expenditure				
3. Revenue deficit as percentage of revenue receipts.				
4. Fiscal deficit as percentage of gross state domestic product.				
5. Tax revenue as percentage of gross state domestic product.				
6. Total outstanding Debt as percentage of gross state domestic product.				
7. Total outstanding guarantees as percentage of revenue receipts.				

B. Assumptions underlying the Fiscal Indicators :

1. Revenue receipts:

(a) Tax-revenue growth rates and gross state domestic product growth rate.

(b) Non-tax-revenue-Policy stance.

2. Capital receipts:

(a) Fresh loans and policy stance

(b) Recovery of loans

(c) Other receipts
(d) Borrowings-Public Debt and Other Liabilities

3.Total expenditure:

(a) Revenue account :
(i) Salaries and Wages
(ii) Pensions
(iii) Interest payments
(iv) Major subsidies
(v) Others

(b) Capital account :
(i) Loans and advances
(ii) Capital outlay

4. Gross State Domestic Product Growth.

C. Statement on:

(i) The balance between revenue receipts and revenue expenditure.— The medium term fiscal plan statement may specify the tax-gross state domestic product ratio for the current year and subsequent two years with an assessment of the changes required for achieving it. It may discuss the non-tax revenues and the policies concerning the same. An assessment of the capital receipts may be made, including the borrowings and other liabilities, as per policies spelt out. The statement may also give projections for gross state domestic product and discuss it on the basis of assumptions underlying the indicators. Expenditure on revenue account, both plan and non-plan, may also be made with particular emphasis on the measures proposed to meet the overall objectives.

(ii) The use of capital receipts including market borrowings for generating productive assets.— The medium term plan statement may also specify the proposed use of capital receipts for generating productive assets in different categories. It may also spell out proposed changes among these categories and discuss it in terms of the overall policy of the Government in achieving the State's objectives.

(iii) Statement on recent economic trends and future prospects of growth affecting fiscal position of the State Government.

(iv) Strategic priorities of the Government in the fiscal areas.

(v) Statement of cumulative debt or liabilities.

Form 2

(See rule 6*)*

Accounting Policy and Practices of the State Government

Existing Procedures/Practices	Change, if any	Reasons for Changes	Impact, if any
(1) Existing Accounting Standards *(Details to be given).*			
(2) Existing Accounting Policy/Practice *(Details to be given).*			

Form 3

(See rule 6*)*

Statement of Guarantees on Long Term Liabilities of State Government

Maximum Amount Guaranteed for the year for which actuals are available *(Rs. crore)*	Amount outstanding against the guarantee given *(Rs. crore)*	Guarantees outstanding as on 31st March of previous year *(Rs. crore)*	Additional guarantees given during the current year *(Rs. crore)*	Remarks, if any
1	*2*	*3*	*4*	*5*

Form 4

[See rule *6(1)]*

Detail of Number of Employees as on 31st March.....

		Number	Salary		
			Plan	Non-Plan	Total
1	State Govt. Employees (Demand wise/Deptt. wise)				
2	Public Sector Undertakings.				
3	Aided Institutions				
	Total No. of Employees.				

Form 5

(See rule 7)

Review of Receipts and Expenditure

Item	Budget Estimates of current year	Latest Estimates of current year	Expected Increase/ Decrease	Reasons for Deviation
1	2	3	4	5
A. REVENUE RECEIPTS				
(i) State's Own				
(a) Tax revenue				
(b) Non tax revenue				
(ii) Central Transfers (including Central Taxes)				
(iii) Centrally Sponsored Scheme Grants (excluding Centrally Sponsored Scheme loans)				
1. TOTAL : A (i to iii) REVENUE RECEIPT				
B. REVENUE EXPENDITURE				
(i) Non-Plan				
i(a) interest payment (included above in i)				
i(b) Pension (Plan) included below in (ii)				
i(c) Pension (Non-plan) included above in (i)				
(ii) Plan				
(iii) Centrally Sponsored Scheme				
2. TOTAL : B [i to iii excluding i (a)] REVENUE EXPENDITURE				
3. Revenue Deficit (A-B)				
C. CAPITAL RECEIPTS				
(i) Total Borrowings (excluding Wages & Means overdraft and includes net General Provident Fund receipts)				
(ii) Recovery of Loans				
4. TOTAL : C (i & ii) CAPITAL RECEIPTS				
D. CAPITAL EXPENDITURE				
(i) Repayment of loans				
(ii) Non-Plan Capital Expenditure				
(iii) Plan Capital Expenditure				
(iv) Centrally Sponsored Scheme				
5. TOTAL : D (i to iv) CAPITAL EXPENDITURE				
E. Capital Deficit/Surplus (C-D)				
F. Fiscal Deficit [3+D (ii+iii+iv)-C (ii)]				
G. Primary Deficit [F-B i (a)]				

H. Statement regarding deviation attributed to general economic environment & policy charges.

I. Statement of proposed remedial measures

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित